



2026: AHC: 3087

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 40739 सन् 2025

शिव गौंड

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता :- जनार्दन

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता :- जी.ए., मंगलश्वर वर्मा, रेनू शर्मा

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन, प्रथम सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मंगलश्वर वर्मा तथा राज्य-प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान ए० जी० ए० श्री अजय सिंह को सुना गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त-आवेदक शिव गौंड की ओर से, पुलिस थाना-कोतवाली पडरौना, जनपद-कुशीनगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 16/17 के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 147 सन् 2025 में, विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस विशिष्ट वाद अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फंसाया गया है तथा वह दिनांक 08.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है। दिनांक 13.02.2025 को घटित घटना के संबंध में दिनांक 21.03.2025 को 38 दिनों की विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके लिए कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिसमें एक दीपक रावत के विरुद्ध यह आरोप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगाया गया है कि घटना की तिथि को नामित अभियुक्त दीपक रावत ने उसके साथ बलात्कार किया। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि पीड़िता के कथन में आवेदक का नाम इस आरोप के साथ प्रकाश में आया है कि वह केवल नामित अभियुक्त के साथ बैठा हुआ था तथा इसके अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में दिनांक 17.09.2025 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा आवेदक से और किसी प्रकार की अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा जमानत पर उन्मोचित किए जाने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान ए० जी० ए० एवं प्रथम सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता तथा सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, साक्षियों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किंतु प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का एक प्रकरण निर्मित होता है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित वाद-अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक, **शिव गोंड** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभु को निष्पादित करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जमानत पर उन्मोचित किया जाए:

- i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक एवं हर तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न कर दी जाए।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्रता होगी।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

7 जनवरी, 2026

दीपक/

Translated Version, Not For Legal Use.